(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।I, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या   07/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त, 2019

सा.का.नि.   (अ).- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 793 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।I, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) प्रारंभिक पैराग्राफ में "25 अगस्त, 2019" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) - उड़े देश का आम नागरिक (यूडीएएन) एयरपोर्ट या हैलीपोर्ट या वाटरड्रोम के प्रचालन के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति या इस योजना की अवधि के अंत तक, इनमें से जो भी पहले हो";

(ii) सारणी में, क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"7.	2710 19 20	क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) - उड़े देश का आम नागरिक (यूडीएएन) एयरपोर्ट या हैलीपोर्ट या वाटरड्रोम की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम उड़ानों के लिए चुनिंदा एयरलाईन आपरेटरों या कार्गो आपरेटरों के द्वारा लिया गया विमानन टरबाइन ईंधन	2%".

2. यह अधिसूचना 26 अगस्त, 2019 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या 354/102/2015-टीआरआयू (पार्ट-।।।]

(गुंजन कुमार वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, को सा.का.नि. 793(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।I, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 06 जुलाई, 2019, जिसे सा.का.नि. 485 (अ), दिनांक 06 जुलाई, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।I, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।